कार्यालय/न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार जिला धार म0प्र0

कमांक–293/2026 धार, दिनांक–27.07.2026

//रिमांड ड्यूटी आदेश//

मैं नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार म0प्र0 माह **अगस्त 2026** तक के अवकाश के दिनों में जिला धार मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की निम्नानुसार रिमांड ड्यूटी नियत करती हूँ। कॉलम नं.1 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट, कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित अवकाश के दिनों में दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे:–

स.क.	कॉलम कमांक–1	कॉलम कमांक–2
1	श्री धर्म कुमार, जे.एम.एफ.सी.	
2	श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल जे.एम.एफ.सी.	01 व 02
3	सुश्री संजना मालवीया, जे.एम.एफ.सी.	23
4	श्री राधाकृष्ण यादव, जे.एम.एफ.सी.	२५ व 30
5	श्रीमति राखी सिकरवार, जे.एम.एफ.सी.	09
6	श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, जे.एम.एफ.सी.	16
7	श्रीमती रेखा द्विवेदी, जे.एम.एफ.सी.	15
8	श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा जे.एम.एफ.सी.	28

नोटः–

1. अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थिति में रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. अपवादिक परिस्थितियों में मजिस्ट्रेटगण रिमांड ड्यूटी परिवर्तन हेतु साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति प्राप्त कर समायोजन की सूचना मेरी ओर प्रेषित करेंगे।
3. उपरोक्त में से किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है और वह पदभार मुक्त हो जाते है अथवा कोई न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण में जाते हैं तो उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी अन्य किसी भी पदस्थ न्यायिक अधिकारी की लगाई जा सकेगी।
4. अन्य कोई विशेष अवकाश होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, उस दिन तथा जिला रजिस्ट्रार के प्रोटोकॉल प्रस्थान की स्थिति में **मुख्यालय पर उपस्थित अन्य मजिस्ट्रेट** द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
5. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश नियत दिनांक को रिमांड ड्यूटी पर न्यायिक अधिकारी अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिमांड ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक अधिकारी की नियत की जावेगी।

(नताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)

पृ.क्रं–294/सी.जे.एम. धार, दिनांक–27.07.2026

प्रतिलिपिः–

1– मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धार की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– श्री धर्म कुमार जे.एम.एफ.सी., धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3– सुश्री संजना मालवीया, जे.एम.एफ.सी., धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4– श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– श्री राधाकृष्ण यादव, जे.एम.एफ.सी. धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6– श्रीमती राखी सिकरवार, जे.एम.एफ.सी. धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7– श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
8– श्रीमती रेखा द्विवेदी, जे.एम.एफ.सी. धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
9– श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, जे.एम.एफ.सी. धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10– उपसंचालक, लोक अभियोजन धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की रिमांड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायालय में संबंधित ए.डी.पी.ओ. को उपस्थित रखें।
11– सचिव, अभिभाषक संघ धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12– पुलिस अधीक्षक, धार की ओर समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करने के लिये कि उक्त सार्वजनिक अवकाश के दिन न्यायालय भवन में शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रिमांड ड्यूटी की जावेगी। अतः उक्त समयावधि में ही रिमांड कार्यवाही प्रस्तुत करें।
13– सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रतिं ई–मेल द्वारा सभी न्यायाधीशगण को आज ही भेजना तथा वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

27/7/2026

(नताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)